२२/५/23 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वाद बाद साबित नहीं होने से खारिज किया गया। आदेश प्रपत्र से लेखबद्ध कराया जावे। फैसला किया गया। पत्रावली मियाद पूर्ण होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़

दायरा दिनांक 30.12.2019

प्रकरण संख्या/776/दावा/2019

1.देवबाई पुत्री लक्ष्मण जाति गुर्जर निवासी भूमाड़ा तहसील बकानी
2.रत्तुबाई पुत्री लक्ष्मण जाति गुर्जर निवासी भूमाड़ा तहसील बकानी .... वादीगण

बनाम

1. गिरधारी आ0 कालू जाति गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील बकानी
2. बरजंग आ0 गिरधारी जाति गुजर्र निवासी मोतीपुरा तहसील बकानी
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बकानी .... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थिति :-

श्री सुदामा राठौर अभिभाषक वादी

-:: निर्णय ::-

दिनांक 22.02.2023

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम मोतीपुरा तहसील बकानी खाता संख्या नया 42 पुराना 40 की खसरा संख्या 154, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एवं 26 कुल किता -8 कुल रकबा 4.7039 है0 भूमि पुश्तैनी है जिसमें वादी देवबाई 1/6, रत्तुबाई 1/6 हिस्सा जमाबन्दी मे है । वादीगण का पारिवारिक बटंवारा के अनुसार अपने हक व हिस्से पर काबिज है व काश्त करती है । प्रतिवादीगण का वादीगण की आराजी से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है । प्रतिवादीगण अवैधानिक प्रवेश करके जबरन ताकत के बल पर अवैधानिक कब्जा करना चाहता है । यदि प्रतिवादी अपने योजना में सफल हो गये तो वादीगण के वैधानिक अधिकारों को अपरिमित क्षति होगी जिसके लिए द्रव्ये में आंकलन नहीं किया जा सकेगा । इस कारण प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के विरूद्व स्थायी व्यादेश जारी किया जाना आवश्यक है । अतः प्रतिवादी 1 व 2 के विरूद्व स्थायी व्यादेश जारी कर उन्हें वाद पत्र में वर्णित आराजी में वादीगण के हिस्से व कब्जे पर किसी भी प्रकारेण विघ्न नहीं करने व कब्जा न करने बाबत् पाबन्द करें ।

वादी वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी नम्बर 1 की और से वकील श्री शेलेन्द्र पोसवाल ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा । वकील प्रतिवादी को जवाबदावा पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 23.12.2020 को जवाब बन्द किया जो पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई ।

वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में नकल खाता संख्या नया 42 पुराना 40 पेश कर वादी देवबाई एवं बजरंगलाल व लालचन्द के शपथपत्र पेश किये ।

हमने बहस वकील वादी एक तरफा सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । वकील वादी ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वादी वादीगण स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की । हम वकील वादी द्वारा दौराने बहस दिये गये तर्को से सहमत नहीं है । वकील वादी द्वारा वाद के समर्थने में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

कर किया जिससे वाद पत्र में अंकित आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा करने का कोई प्रयास किया गया हों, वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व जबरन कब्जा करने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई हो । केवल मौखिक निवेदन करने मात्र से वाद साबित नहीं पाया जाता है । अतः न्यायालय वाद खारिज करना उचित समझता है । अतः वाद वादी खारिज किया जाता है । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 22.2.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

फर्द डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, झालावाड़

पीठासीन अधिकारी :– मनीषा तिवारी, उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़

उनवान

1.देवबाई पुत्री लक्ष्मण जाति गुर्जर निवासी भूमाड़ा तहसील बकानी .... वादीनी

2.रत्तुबाई पुत्री लक्ष्मण जाति गुर्जर निवासी भूमाड़ा तहसील बकानी

बनाम

1. गिरधारी आ0 कालू जाति गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील बकानी
2. बरजंग आ0 गिरधारी जाति गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील बकानी .... प्रतिवादीगण
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बकानी

दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

मुकदमा नम्बर :– 6776/दावा /2019
तारीख दायराः– 30.12.19
निर्णय दिनांक :– 22.2.2023

वादीगण की ओर से वकील श्री सुदामा राठौर व प्रतिवादीगण एकपक्षीय मे इस वाद में आज तारीख 22.2.23 को उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के समक्ष वाद निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वाद वादी साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है ।

यह आज तारीख 22.2.23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी झालावाड़)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,........

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	